राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 18-1-2022

:: आदेश ::

विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(1)न्याय/2021 दिनांक 14.12.21 द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02, डीग जिला भरतपुर की बैठक का स्थान डीग से परिवर्तित कर नगर स्थापित करते हुये उक्त न्यायालय का नाम अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं02 डीग जिला भरतपुर के स्थान पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नगर जिला भरतपुर किया है।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.12.21 के क्रम में इस विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2)राज/वाद/93 दिनांक 30.10.2002 द्वारा सृजित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, डीग जिला भरतपुर का स्थान डीग से परिवर्तित कर नगर करते हुये उक्त अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, डीग जिला भरतपुर के स्थान पर अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, नगर जिला भरतपुर किया जाता है।

आज्ञा से,

ह0

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विधि।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, भरतपुर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं02, डीग / नगर जिला भरतपुर।
7. जिला कलक्टर, भरतपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, भरतपुर।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

18/1/22

(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ठ शासन सचिव, वादकरण